



सेवा में,

Letter No: MIS/SS/82/2023-24/.....
Dated : 12/07/2024 2962

जिला शिक्षा पदाधिकारी
सभी जिले ।

विषय:- राज्य के सभी जिलों में ICT Lab हेतु चयनित मध्य विद्यालयों एवं सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अधिष्ठापित ICT Lab में Internet सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग:- कार्यालय पत्रांक- MIS/SS/82/2023-24/2442, दिनांक- 30.05.2024 ।

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र का कृपया संदर्भ लेना चाहेंगे जिसके माध्यम से इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रति विद्यालय अधिकतम रुपये 300/- प्रतिमाह रीचार्ज के लिए दर निर्धारित किया गया था । अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आदेशानुसार राज्य के सभी ICT Lab (मध्य/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) में जहाँ इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक मॉडम/वाई-फाई एवं अन्य माध्यम से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करायेंगे, जिसके लिए प्रति विद्यालय रुपये 750/- प्रतिमाह व्यय हेतु अधिकतम दर निर्धारित किया जाता है । इस व्यय का वहन समग्र शिक्षा के Draft Framework में अंकित 2.17.1 के अनुसार Composite School Grant की राशि से किया जायेगा । माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय इस राशि का वहन छात्रकोष एवं विकास कोष में उपलब्ध राशि से भी कर सकते हैं ।

विश्वासभाजन

(शाहजहाँ)

प्रशासी पदाधिकारी

ज्ञापांक ~~SSA/1957~~ औरंगाबाद, दिनांक ~~16/07/24~~

प्रतिलिपि:-ICT BOO Model Lab के तहत आच्छादित सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:-सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला-औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:-जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित ।

DPM ICT
16/07/24

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा0शि0 एवं समग्र शिक्षा
औरंगाबाद ।